Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में जिला परिषद का कनिष्ठ सहायक व एक प्राईवेट व्यक्ति 94 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 मार्च गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली द्वितिय इकाई द्वारा आज नागौर में कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला नागौर व एक प्राइवेट व्यक्ति विरेन्द्र सांगवा को 94 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली द्वितिय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जिला परिषद नागौर की नरेगा शाखा में कार्यरत कनिष्ठ सहायक सुरेश कुमार द्वारा एक ग्राम पंचायत के विकास कार्य (पानी के 20 टांके व एक सी.सी. ब्लॉक) के वित्तिय प्रस्तावों की स्वीकृति निकलवाने के लिए दो प्रतिशत राशि के हिसाब से 1,90,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द विश्नोई** के सुपरविजन में **श्री महिपाल उप अधीक्षक पुलिस** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री सीताराम बुनकर** पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए सुरेश कुमार पुत्र मगाराम नायक निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला नागौर को परिवादी से 94 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करनें पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी के मित्र विरेन्द्र सांगवा पुत्र रामकिशोर जाट निवासी तरनाउ तहसील जायल जिला नागौर को संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उल्लैखनिय है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सुरेश कुमार के निवास स्थान की तलाशी में 78 हजार रूपये की अतिरिक्त नकद राशि बरामद हुई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ एवं आवास व अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।